(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2374–दो/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 25.5.12 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 256/2008–09 निगरानी

1– बालकिशन पुत्र हल्केराम चमार
2– खिलन पुत्र हलके चमार ग्राम कर्र
तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर ––आवेदकगण

विरूद्ध

1–प्रभूलाल पुत्र सुन्दरलाल लोधी
2–हीरालाल (मृत) पुत्र बारेलाल

वारिस

अ– मलखान ब– अमरसिंह
स– शिवराज पुत्रगण हीरालाल
क– कु.भेदवती पुत्री हीरालाल
ख– श्रीमती गनेश पत्नि स्व.हीरालाल
3– असगर खां पुत्र अल्ताफ
4– सनमान पुत्र चम्मालाल दर्जी
सभी ग्राम कर्र तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ––––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

आ दे श

(दिनांक 3–2 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 256/2008–90 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–5–12 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कर्र स्थित आराजी क्रमांक 488/2 रकबा 2.877 हैक्टर काबिलकास्त भूमि का नायव तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण क्रमांक 15 अ 19/ 01–02 में आदेश दिनांक 2–5–2002 से व्दारा भूमिहीनों को बन्टन किया

गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के समक्ष अपील होने पर प्र0 क0 120/2001-02 में पारित आदेश दि0 25-2-2003 से आवेदक के हित में दिया गया पट्टा निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 256/2008-90 निगरानी में पारित आदेश दि0 25-5-12 से निगरानी निरस्त कर दी गई क्योंकि अनावेदक क्रमांक-2 हीरालाल की मृत्यु होना तामील कुनिन्दा ने 23-10-10 को बताया है किन्तु 25-5-12 तक मरम्मत सवाल का आवेदन नहीं दिया है इसलिये निगरानी अवेट मानकर निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

4/ प्रकरण में प्रथमतः विचार योग्य है कि अनावेदक क्रमांक-2 हीरालाल की मृत्यु होना तामील कुनिन्दा ने 23-10-10 को बताया है और 25-5-12 तक मरम्मत सवाल का आवेदन आवेदक के अभिभाषक ने प्रस्तुत नहीं किया है तब क्या निगरानी अवेटमेंट में समाप्त होगी ? अपर आयुक्त के प्रकरण के उन्मान में दिये गये पक्षकारों के विवरण के अवलोकन पर पाया गया कि प्रकरण में चार अनावेदक हैं जबकि अनावेदक कमांक 2 हीरालाल पुत्र बारेलाल प्रजापति की मृत्यु हुई है किसी एक पक्षकार की मृत्यु होने पर संपूर्ण प्रकरण अवेट नहीं होता, क्यों कि प्रकरण में तीन अन्य पक्षकार जीवित मौजूद हैं। अतएव अपर आयुक्त व्दारा आदेश दि. 25-5-12 में लिया गया निर्णय
विसंगतिपूर्ण है।

5/ प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार मुंगावली के प्रकरण क्रमांक 15 अ 19/ 2001-02 में आदेश दिनांक 2-5-2002 से किये गये भूमि बन्टन के विरूद्ध

अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष हीरालाल पुत्र रूमाल चमार के विरूद्ध प्रभूलाल एंव अन्य 5 ने अपील कमांक 120/2001-02 प्रस्तुत की है , जिसमें पारित आदेश दिनांक 25-2-03 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 2-5-2002 निरस्त किया गया है और जब इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष हीरालाल पुत्र रूमाल चमार निवासी कर्र ने निगरानी कमांक 246/2009-10 प्रस्तुत की, अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 15 सितम्बर 2010 से निगरानीकर्ता हीरालाल के हित तक निगरानी स्वीकार की है एंव अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील कमांक 120/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 25-2-03 निरस्त किया है तब अपर आयुक्त व्दारा इस प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये मात्र एकपक्षकार की मृत्यु होने पर प्रकरण अवेटमेंट में समाप्त करके आवेदक के हितों की अनदेखी करना न्याय की श्रेणी में नहीं माना जावेगा और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश दिनांक 25-5-12 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर बंटन के पूर्व से कब्जा होकर खेती करते आ रहा है एंव वर्ष 2002 में भूमि आवंटित हो जाने पर स्वत्व प्राप्ति उपरांत परिश्रम करके एंव धन व्यय करके उसने उबड़-खाबड़ भूमि को समतल करके चारों ओर मेढ़ बन्धान बना लिये एंव सिंचाई के साधन ट्यूव वैल लगवा लिया तथा निवास हेतु मकान निर्माण कर रहने लगा है। आवेदक अनुसूचित जाति का है यदि उससे भूमि वापिस ले ली जाती है उसे धनहानि होने के साथ परिवार के पालन-पोषण में व्यवधान उत्पन्न हो जावेगा। यदि आवेदक के अभिभाषक के इस तर्क पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय।

1. इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0शासन 2009 रा.नि. 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गलतियां की गई - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटिति को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।

2. शॅकरलाल वर्मा विरूद्ध म0प्र0राज्य 1984 रा0नि0128 का न्यायिक दृष्टांत है जब तक कि समुचित क्षति सिद्ध नहीं की जाती है, पटटेदार व्दारा भूमि को सुधारने और कुऑ निर्माण करने में अत्यधिक राशि व्यय की गई। सामान्यतः ऐसे आबन्टन को रद्द किया जाना तर्कसंगत नहीं है।

परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने इन तथ्यों पर गौर न करते हुये आवेदक के हित में हुये भूमि बन्टन को निरस्त करने में भूल की है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने भी आदेश दिनांक 25-5-12 से मृतक के हित तक अवेट होने के तथ्य को अनदेखा करते हुये संपूर्ण निगरानी प्रकरण निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 256/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दि0 25-5-12 एंव अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली व्दारा अपील क्रमांक 120/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 25-2-03 आवेदक के हित तक त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा नायव तहसीलदार मुंगावली द्वारा प्रकरण क्रमांक 15 अ 19/ 2001-02 में पारित आदेश दिनांक 2-5-2002 से सर्वे क्रमांक 488/2 क के पटट् तक यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर